

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में
अंशकालीन पत्रोपाधि चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2020–21

1.1	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम; संस्थावार/ब्रांचवार उपलब्ध सीटों की संख्या	पृष्ठ 1–13
1.2	विभिन्न प्रारूप एवं आवेदन-पत्र	पृष्ठ 14–29

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

राज्य के शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित अंशकालीन पत्रोपाधि चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम सत्र 2020-21 से लागू

सत्र 2020-21 में मध्यप्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में (परिशिष्ट-अ में दर्शाये अनुसार) अंशकालीन पत्रोपाधि चार वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश संबंधी सामान्य नियमावली एवं पात्रताओं का विवरण दिया गया है।

इन नियमों में प्रस्तुत प्रवेश संबंधी सभी नियमों एवं पात्रताओं में आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य शासन या म.प्र. के संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम के उपयुक्त संचालन हेतु संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी स्थिती या विषय या भविष्य में उठने वाली किसी भी स्थिती में मध्यप्रदेश शासन अथवा संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

1.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

ये नियम शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.2. परिभाषाएँ:-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ख) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ग) "उपाबंध" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(घ -1) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल, बी.ई. इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा आदि)।

(ड.) "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(च) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(छ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य

के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(झ) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

उपरोक्त के अलावा प्रवेश नियम में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार है:-

1. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रान्च में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिए जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे।

1.3 प्रवेश नियम:-

शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय संस्थाओं में संचालित अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1.3.1 स्थानों की उपलब्धता-

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय	उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है, उनकी प्रवेश क्षमता का 100 प्रतिशत।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न आवश्यक जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की **30 जून** या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

1.3.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक **29 जून, 2013** के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-1** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (**प्रारूप-1(अ)**) में संलग्न है) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश नियम में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण-पत्र के साथ इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप-2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारूप-3** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2017** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-4** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक

एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु-

प्रवेश के इच्छुक विकलांग उम्मीदवार जिनका विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक है तो ऐसे उम्मीदवारों को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाऊन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

(घ) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा। किसी भी श्रेणी में महिला उम्मीदवार न उपलब्ध होने पर उस श्रेणी की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

टिप्पणी:

- (अ) उम्मीदवार विभिन्न श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो उससे संबंधित प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (स) आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

1.3.3 प्रवेश हेतु पात्रता :-

- (i) जो भारत का नागरिक हो।
- (ii) **उम्र:-** ऐसे उम्मीदवार जो अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक हैं उनकी उम्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को कम से कम 20 वर्ष होना चाहिये।
- (iii) **शैक्षणिक योग्यता:-** सभी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक **परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण** होना आवश्यक है:-
माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नोट :-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।
3. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

(iv) **कार्य अनुभव :-** उम्मीदवार को आवश्यक रूप से पूर्णकालिक नियमित सेवा में 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिये, जो कि तकनीकी सेवा की परिभाषा के अनुरूप **(परिशिष्ट "ब")** शासकीय सेवा, सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठान उद्योग या तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय तथा उसके पश्चात पढाई की अवधि में सेवारत हो। उम्मीदवार की तकनीकी सेवा का स्थल शिक्षण संस्था (पोलिटैकनिक महाविद्यालय) से 60 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिये। साथ ही पूर्णकालिक नियमित सेवा के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पिछले छः माह का वेतन पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

(v) उपरोक्त की शर्तें पूर्ण करने वाले सभी श्रेणी के उम्मीदवारों की काउंसलिंग संपादित करने के उपरांत रिक्त रह गये समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे तथा जिसके लिये निम्नलिखित उम्मीदवारों के लिये प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किया जावेगा। आवंटन की कार्यवाही निम्न वरीयता अनुसार की जावेगी:-

- (i) दैनिक वेतन के साथ-साथ अंशकालीन तकनीकी सेवा का प्रशिक्षण या सेवा पूर्ण का प्रशिक्षण अथवा एप्रेन्टिसशीप (भत्ते सहित) के अन्तर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत है।
- (ii) वह उम्मीदवार जिसने 10+2 प्रणाली की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर दो वर्ष पूर्ण कर लिये हो।

1.4 प्रवेश की प्रक्रिया

1.4.1 **प्रवेश हेतु आवेदन-** प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mptechedu.org से डाउनलोड कर संबंधित पोलिटैकनिक महाविद्यालय में जमा करेंगे जहां कि अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं। आवेदन के साथ ₹ 100 रूपये का डिमांड ड्रॉपट, जो कि संस्था के प्राचार्य के नाम देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्रों का होना अनिवार्य है:-

1. संस्थान जहां आवेदक कार्यरत है वहां के कार्यालय द्वारा अग्रेषित पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिये।
2. उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य उच्च अर्हता की परीक्षा की अंक सूचियों की सत्यप्रति।

3. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नियुक्ति एवं अनुभव प्रमाण-पत्र।
(प्रारूप-6)
4. निर्धारित प्रपत्र में स्थानीय निवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी लागू हो, का प्रमाण-पत्र।
5. उम्मीदवार द्वारा पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटो कापी।
6. चयनोपरान्त प्रवेश लेते समय उम्मीदवार का अर्हता प्रमाण-पत्र, नियुक्ति विवरणों की जानकारी एवं अन्य जानकारियाँ जो पूर्व में प्रदान की गई हैं सत्य होने संबंधी शपथ पत्र।
7. इस आशय की प्रतिबद्धता कि पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने पर पूरे शिक्षण अवधि में अन्य किसी संस्था के अन्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा।
8. मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जहाँ आवेदक अंतिम रूप में अध्ययनरत था, प्रवेश के समय देना अनिवार्य है।

नोट:- उपरोक्त प्रमाण-पत्र संलग्न न होने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

1.4.2. प्रवेश हेतु उम्मीदवार का चयन एवं पात्रता:

1. प्राप्त हुए सभी आवेदन-पत्रों का प्राचार्य द्वारा सारणीकरण किया जावेगा। स्वीकृत प्रवेश संख्या के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश अनिवार्यतः योग्यताक्रम अनुसार दिया जावेगा।
2. ऐसे उम्मीदवार जो कि पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं प्राचार्य उनके आवेदनों को अमान्य कर देंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक को इस बाबत सूचित किया जावे। वे नोटिस बोर्ड पर सूची देख सकते हैं।
3. केवल प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय में चयन समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कार हेतु स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
4. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय में आयोजित साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उसकी उम्मीदवारी स्वयंमेव निरस्त हो जावेगी।
5. चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् तैयार की गई उम्मीदवारों की अंतिम चयनित सूची संचालक तकनीकी शिक्षा को प्रस्तुत की जावेगी।
6. चयन समिति के द्वारा अनुमोदित एवं योग्यता क्रम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई सूची संस्था के सूचना पटल एवं संस्था की अधिकृत वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी। उक्त सूचना में उम्मीदवारों को तदनुसार संस्था में शुल्क जमा करने की तिथि तथा सेमेस्टर प्रारंभ होने की तिथि तथा समय की जानकारी भी दी जावेगी।
7. एक पाठ्यक्रम हेतु विचारणीय उम्मीदवार को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् पाठ्यक्रम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
8. आवेदक जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है उसी पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यों में नियोक्ता संस्थान में कार्यरत होगा। यदि उस क्षेत्र में तकनीकी कार्य अनुभव पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होगा तो उसे चयन समिति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
9. चयनित आवेदक को एक संस्था से अन्य किसी संस्था में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

10. पात्रता रखने वाले आवेदक को साक्षात्कार हेतु, प्रवेश के लिये उपलब्ध स्थानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुलाया जावेगा यह आवश्यक नहीं कि सभी आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाये।

नोट:— यदि किसी संस्था के किसी पाठ्यक्रम/ब्रान्च में चयनित आवेदकों की संख्या 10 से कम होगी तो उस संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम/ब्रान्च में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

1.5 प्रवेश हेतु चयन पद्धति (प्रावीण्य सूची बनाना):—

1.5.1 योग्यता क्रम सूचियाँ

उम्मीदवारों का प्रवेश निम्नानुसार तैयार किये गये प्रावीण्य सूची के आधार पर निर्धारित होगा:—

1. अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का अधिभार	60%
2. तकनीकी अनुभव का अतिरिक्त अंक (10 में से)	
(अ) प्रथम दो वर्ष के तकनीकी (वैध प्रमाण—पत्र के आधार पर) अनुभव पर	शून्य
(ब) नियमित सेवा अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये प्रथम दो वर्ष के अनुभव के पश्चात् पात्रता होने पर अधिकतम दो प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर	10%
3. तकनीकी योग्यता हेतु अतिरिक्त अंक जो संबंधित ट्रेड के आधार पर (तकनीकी माध्यमिक स्कूल/आई.टी.आई रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग)	15%
4. अर्हकारी परीक्षा से अधिक योग्यता के लिये (गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र सहित)	5%
5. साक्षात्कार से प्राप्तांक	10%

कुल 100

टीप :- राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-5** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.5.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) समान कुल अंक होने पर अधिक अनुभव वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।

1.5.3 मूल प्रमाण-पत्र:—

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

1.5.4 पाठ्यक्रम अवधि में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.5.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

1.6 प्रवेश का क्रम :-

1.6.1 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

1.6.2 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

1.7 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा ।

(2) यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अपना प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश की तिथि से 7 दिन पूर्व निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी ।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया (प्रतिक्षा सूची) में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा ।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी ।

1.8 शिक्षण तथा अन्य फीस :- राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस देय होगी ।

1.9 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा ।

- 1.10 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।
- 1.11 निर्वचन:-
इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- 1.12 अधिकारिता:-
किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।
- 1.13 एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण:- जिन संस्थाओं में अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित है उन संस्थाओं में प्रवेश हो जाने के उपरांत छात्र/छात्रा का अन्य संस्था में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट
www.mpachedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

परिशिष्ट "अ"

विभिन्न पोलिटेकनिक महाविद्यालय संस्थाओं में अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध श्रेणीवार स्थानों की संख्या

श्रेणीवार स्थानों की संख्या

	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पोलिटेकनिक महा. (कला निकेतन), जबलपुर (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 25 20	05 08 06	06 10 08	04 07 06	30 50 40
2	स. व. पोलिटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 25 25	05 08 08	06 10 10	04 07 07	30 50 50
3	डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोलिटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15 15	05 05 05	06 06 06	04 04 04	30 30 30
4	शासकी पोलिटेकनिक महाविद्यालय, उज्जैन (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15 15	05 05 05	06 06 06	04 04 04	30 30 30
5	एम.जे.पी. पोलिटेकनिक महाविद्यालय, खण्डवा (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	10 10 10	03 03 03	04 04 04	03 03 03	20 20 20
6	श्री वेषणव पोलिटेकनिक महाविद्यालय, इंदौर (अनुदान प्राप्त अशा.पोली महा.)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 25 20	05 08 06	06 10 08	04 07 06	30 50 40
7	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, सनावद	1. मेकेनिकल इंजी 2. इलेक्ट्रीकल इंजी.	12 12	04 04	05 05	03 03	24 24
8	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, शहडोल	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15 15	05 05 05	06 06 06	04 04 04	30 30 30
9	शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, बैदण	1. मेकेनिकल इंजी. 2. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15	05 05	06 06	04 04	30 30

परिशिष्ट "ब"

परिभाषाएँ:

(i). तकनीकी सेवाएँ:

इन नियमों के लिये तकनीकी सेवा का तात्पर्य पूर्णकालिक नियमित सेवा से है, जिसकी जांच कभी भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की जा करवाई जा सकती है, जिसके निष्पादन में इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक तथा मानवीय कुशलता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता हो प्राचार्य द्वारा जांच करने पर यह पाया गया है कि वह तकनीकी सेवा से संबंधित कार्य नहीं करता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

टीप: जब तक पद एवं कार्य का स्वरूप तकनीकी नहीं है उसे "तकनीकी सेवा" का कर्मचारी नहीं माना जावेगा, भले ही पद का नाम या स्वरूप उस प्रकार का परिलक्षित होता हो। उम्मीदवार को चयन योग्य तब ही समझा जावेगा जब वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम होगा।

(ii). उद्योग/प्रतिष्ठान/फर्म इन नियमों के लिये उद्योग/प्रतिष्ठान या फर्म से तात्पर्य उस संस्थान से है जो फ़ैक्ट्री एक्ट या मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम या मध्यप्रदेश शासन के उद्योग विभाग से पंजीकृत हो।

टीप-1 स्थानीय संस्थाओं में व्यावसायिक स्थल के रूप में पंजीकृत उद्योग/फर्म/प्रतिष्ठान इन नियमों के अन्तर्गत मान्य नहीं होंगे।

टीप-2 दीर्घ/लघु उद्योग के रूप में रजिस्टर्ड फर्म एवं सोसायटी के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान या उद्यम में कार्यरत उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त फर्म/उद्यम या प्रतिष्ठान में उत्पादन/मरम्मत/अनुरक्षण/तकनीकी निर्माण संबंधी कार्य सम्पन्न होते हैं। यह मात्र एक औपचारिक व्यापारिक केन्द्र नहीं है। अतः इस आशय का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति पंजीकृत फर्म एवं सोसायटी को भी देनी होगी इसकी जांच भी की जायेगी।

टीप-3 फ़ैक्ट्री एक्ट के अनुसार नौकरी संबंधी सभी प्रमाण जिले के लेवर आफिसर/कार्यपालन यंत्री/संभागीय यंत्री/नगर अभियंता/स्टेट मैनेजर/विद्युत निरीक्षक जो लागू हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

टीप-4 स्वरोजगारी उम्मीदवार के लिये छूट की पात्रता होगी, यदि उम्मीदवार किसी ऐसे वर्कशॉप को संचालित करता हो जिसमें इंजीनियरिंग पर आधारित कर्मशाला मरम्मत, रख-रखाव तथा उत्पादन के कार्य सम्पन्न होते हैं जो परिशिष्ट-ब की परिभाषा (ii) के अनुसार पंजीकृत है।

टीप-5 ऐसे उम्मीदवार जो तकनीकी सेवा के अंतर्गत किसी सिविल ठेकेदार के पास पूर्णकालिक सेवा में है, सिविल ठेकेदार पंजीयन "ए" या "बी" वर्ग के ठेकेदार के रूप में (वर्तमान एवं पूर्व के पंजीयन की फोटो कापी प्रवेश प्रपत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करें) हों तथा ऐसे ठेकेदार के पास उम्मीदवार का तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण पत्र/किसी राज्य शासन/केन्द्र शासन/सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अधिकारी जो कि कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभियंता/नगर

अभियंता। गेरीसन इंजीनियर के रूप में उस कार्य का प्रभारी हो जिसमें उम्मीदवार कार्यरत है, प्रस्तुत करें। तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण—पत्र उपरोक्त कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभियंता/नगर अभियंता/गेरीसन इंजीनियर द्वारा जांच के पश्चात् प्रति हस्ताक्षरित हो, यदि उम्मीदवार स्वयं ठेकेदार है तो उपयुक्त अधिकारी के अतंगत उसका पंजीयन होना चाहिये।

टीप-6 ऐसे उम्मीदवार जो किसी विद्युत ठेकेदार के पास विद्युतकार/टेक्नीशियन पर्यवेक्षक के रूप में पूर्ण कालिक रूप में कार्यरत हैं, उन्हें अपना सेवा प्रमाण—पत्र मध्यप्रदेश विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराना है। साथ ही उस विद्युत ठेकेदार की भी जिसके पास उम्मीदवार कार्य करता है। मध्यप्रदेश विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के पास पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो कापी भी संलग्न करना है। यदि उम्मीदवार स्वयं ठेकेदार है तो उसे भी इसी तरह उपरोक्त बोर्ड के अतंगत पंजीयत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार ने इलेक्ट्रीशियन मोटर वाइडिंग या वायरमेन ट्रेड में आय.टी.आय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो उसे लायसेंसिंग बोर्ड विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।

टीप-7 यदि उम्मीदवार इलेक्ट्रीशियन पर्यवेक्षक के रूप में किसी मेकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/फेक्ट्री/प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो वो तभी पात्र होगा जब वह कर्मशाला/फेक्ट्री/फर्म/प्रतिष्ठान जो परिशिष्ट-ब की परिभाषा (ii) के अनुसार पंजीकृत हो साथ ही इसी परिभाषा की **टीप-2** की भी पूर्ति करता हो तथा विद्युत सामग्री/मशीन/उपकरण इत्यादि के उत्पादन हेतु अधिकृत (लायसेंसधारी) हो, ऐसे उम्मीदवार को अपना सेवा प्रमाण—पत्र मध्यप्रदेश विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होगा। यदि उम्मीदवार के इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आय.टी.आय. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो उसे उपरोक्त लायसेंसिंग अथोरिटी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।

टीप-8 मोटर गैरेज, आटो रिपेयर शाप, छोटी कर्मशाला, साईकिल रिपेयर शाप एवं इसी प्रकार के संस्थान परिभाषा के अनुसार उद्योग/फर्म/प्रतिष्ठान के रूप में इन नियमों के अतंगत नहीं माने जावेंगे जब तक कि वे उपरोक्त परिभाषा (ii) **टीप-2** के अनुसार पंजीकृत नहीं हो।

टीप-9 केवल शासकीय विभाग में कार्यरत समयपाल ही तकनीकी सेवा में माने जावेंगे यदि उनके विभागीय प्रमुख स्पष्टतः उनके कार्य के तकनीकी स्वरूप को प्रमाणित करे।

(iii). **अनुभव:**

उम्मीदवार को कम से कम दो वर्षों की नियमित सेवा के आधार पर तकनीकी सेवा का अनुभव आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। यदि आवेदक एक से अधिक प्रतिष्ठानों का अनुभव पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे वर्तमान में कार्यरत प्रतिष्ठान के अनुभव प्रमाण—पत्र को प्रवेश फार्म में दिये गये नियोक्ता एवं प्रतिहस्ताक्षर प्रपत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक है, साथ ही पूर्व में किये गये प्रतिष्ठानों के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ताकि अनुभव की गणना की जा सकेगी।

अनुभव की गणना के लिये अधिमान तभी मान्य होगा जबकि तकनीकी अनुभव प्रमाण-पत्र संतोषजनक हो और जिसमें पद एवं वेतन प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख हो और कार्यविधि भी दर्शाना आवश्यक है।

टीप:-

यदि छात्र द्वारा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं एवं इस दौरान उसने कोई नौकरी नहीं की है एवं वर्तमान में भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो ऐसे प्रकरण में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार

टप्पा / तहसील..... जिला.....

प्र.क्र

वर्ष.....

दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
फोटो लगाया जाये जो
प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा सत्यापित
किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कु.....
पिता / पति..... निवासी.....
तहसील..... जिला..... (मध्यप्रदेश).
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप
दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक
की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.....
.....दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी / अवयस्क
बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में
साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसील.....
जिला.....

*लागू न होने पर काट दें।

यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।

प्रारूप-1 (अ)

**स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(अस्ताम्पित कागज पर)**

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं..... आत्मज/पति श्री..... आयु लगभगवर्ष शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में
में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग).....
वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-
 1. श्री/कु.....आयु (लगभग)..... वर्ष
 2. श्री/कु.....आयु (लगभग)..... वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014
वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है
उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबरमोहल्ला..... ग्राम.....तहसील.....
... जिला.....में वर्ष मैं पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....जिला.....
.....में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि
में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे
इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
.....विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

//2//

4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.....पद पर..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।)
5. मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय..... तहसील..... जिला..... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बेंच) अधिकारी हूँ। पद पर कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक.....पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु..... वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।
सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान..... में किया गया।

हस्ताक्षर (जो लागू हो)

केवल उसी का उल्लेख घोषणा -पत्र में किया जाये)

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण पत्र
क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम.....
..... निवासी ग्राम/नगर..... वि.खं.....
तहसील.....जिला..... संभाग..... के.....जाति/
जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं
जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है। अतः
श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम.....
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक
आय रूपए.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी
ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के
निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम
जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन,
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमन्य किया गया है
और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.....
..... संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3
में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8
मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर
चुका है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

**आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(सादे कागज पर)**

मैं..... आत्मज श्री..... आयुवर्ष
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम में हैक्टियर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये.....शब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।?
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये..... शब्दों मेंहै।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य है:-
1.....2.....3.....4.....5
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये शब्दों में.....है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासी ..
.....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान..... में किया गया।

हस्ताक्षर

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा/श्री

ने वर्ष की में

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के

अधिकार पत्र पर आयोजित

राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेंस्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान

दिनांक

संचालक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :-

ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

नियोक्ता का अनापत्ति/सेवा/व्यवसाय एवं अनुभव प्रमाण-पत्र
(नियोक्ता द्वारा भरा जावे)

संदर्भ क्रमांक..... स्थान..... दिनांक / /

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
आत्मज श्री.....शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक.....में
(शहर का नाम, जहाँ पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं) अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के.....ब्रान्च
(ब्रान्च का नाम) में प्रवेश मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री..... इस विभाग/संगठन/प्रतिष्ठान/संस्थान जिसका
पूरा नाम एवं पता..... है।
मैं पूर्णकालीन तथा नियमित सेवा में.....के पद पर दिनांक...../...../.....से
दिनांक.....तक सतत् कार्यरत हैं/था। इनका मूल वेतन रूपये.....महंगाई भत्ता
रु.....अन्य भत्ते रु..... इस तरह कुल परिलब्धि रु.....मासिक हैं। इनका
नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दर्ज है। जिसका खाता क्रमांक सी.पी.एफ/डी.पी.एफ/जी.पी.एफ
क्रमांक है।

आवेदक की पदस्थापना.....(पदस्थापना का शहर) में हैं जो कि.....
(शहर का नाम, जहाँ पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं) से कि.मी. दूरी पर हैं।
आवेदक का मुख्य तकनीकी कार्य निम्नानुसार हैं.....
.....(आवेदक के
प्रति निर्दिष्ट कार्य का विवरण दें) जो कि मुख्य रूप से.....का कार्य करता है।
(कार्य का नाम.....)

यह प्रतिष्ठान/संस्थान फैक्ट्री एक्ट/लघु उद्योग निगम/रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज/संचालक
उद्योग विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लोक स्वास्थ्य यंत्रिक रेल्वे/नगर
निगम/विकास/प्राधिकरण/इलैक्ट्रिकल लायसेंसिंग बोर्ड आदि के अतर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त हैं तथा
वर्तमान पंजीयन क्रमांक/लायसेंस क्रमांक..... है। (पंजीयन की प्रति संलग्न है)

आवेदक की सेवाएं आगामी चार वर्षों तक समाप्त होने अथवा स्थानांतरित होने की संभावना नहीं है।

टीप:- यदि नियोक्ता ठेकेदार हो तो ठेकेदारों की श्रेणी/ग्रेड संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

स्थान :.....

नियोक्ता/संस्थान प्रमुख/ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम:.....
पद (मोहर सहित)..... दूरभाष क्रमांक.....
पता.....

आवेदक का गैर शासकीय संस्था में कार्यरत रहने की दशा में प्रमाण पत्र

आवेदक.....ग्रेड/श्रेणी ठेकेदार के पास कार्यरत है, जिनका का पंजीयन क्रमांक.....दिनांक...../...../.....

प्रति हस्ताक्षर
कार्यपालन यंत्री/विद्युत लायसेंसिंग अथारिटी /इस्टेट मैनेजर (जो भी लागू हो)
नाम.....
पद..... दूरभाष क्रमांक.....
संस्थान की मोहर

टीप:- (1) आवेदक के कार्यों/कर्तव्यों का विवरण अपूर्ण होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

- (2) आवेदन नियोक्ता द्वारा अपने कार्यालयीन क्रमांक एवं दिनांक सहित संबंधित प्राचार्य पॉलीटेक्निक को अग्रेषित होना चाहिए।
- (3) यदि आवेदक शिक्षा अवधि में नौकरी छोड़ता है, (स्वयं की इच्छानुसार अथवा निष्कासन होने पर) तो नियोक्ता इसकी जानकारी संबंधित संस्था के अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्राचार्य को अवश्य भेजे।
- (4) शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

अंशकालीन पत्रोपाधि चार वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र सत्र 2020-21

आवेदन पत्र क्रमांक/दिनांक.....संस्था की सील
(आवेदन जमा करते समय संस्था द्वारा आवंटित किया जावे)

आवेदक का
फोटो नियोक्ता
द्वारा
अभिप्रमाणित
किया गया हो।

1. उम्मीदवार का पूरा नाम :.....
(10वीं की अंकसूची अनुसार)
2. पिता/पति का नाम :.....
3. श्रेणी [(अनारक्षित/अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)] :.....
4. विकलांग (हाँ/नहीं) :.....
5. पुरुष/महिला :.....
6. जन्मतिथि(DD/MM/YYYY) :.....
7. पत्र व्यवहार का पता पिनकोड सहित :.....
8. स्थायी पता पिनकोड सहित :.....
9. मोबाईल क्रमांक :.....
10. स्थाई दूरभाष क्रमांक :.....
11. ई-मेल आईडी :.....
12. उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का विवरण:-

वि.वि./बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांकों का विवरण		
				कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

13. उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण विगत वर्षों की तकनीकी परीक्षा (आई.टी.आई. या एपरेन्टिसशिप) का विवरण:-

स. क्रं.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पाठ्यक्रम/ट्रेड
1					
2					
3					
4					

14. उम्मीदवार के कार्य-अनुभव का विवरण:-

स.क्र.	पद	कब से	कब तक	कुल अनुभव	एम्पलायर का नाम
1					
2					
3					
4					

15. क्या आप प्रवेश नियम के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हैं? (हाँ/नहीं)

16. आवेदन शुल्क हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण:- आवेदन शुल्क ₹ 100/- के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांकदिनांक.....बैंक का नाम एवं ब्रान्च

17. उम्मीदवार के वर्तमान नियोक्ता का नाम
एवं पता :

18. आवेदन अग्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम :.....
एवं पद :

19. उम्मीदवार की मासिक आय (कुल परिलब्धि) :.....

20. कार्य-अनुभव के अनुसार पाठ्यक्रम (ब्रान्च) :.....
(सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक्स)

// घोषणा-पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (अ) उपरोक्त जानकारी सही है। यदि मैं गलत सूचना देने का दोषी पाया गया/गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ब) मुझे ज्ञात है कि किसी गैर कानूनी संगठन से (सक्रिय या परोक्ष) संबंधित रहना प्रतिबंधित है।
- (स) यदि मुझे प्रवेश हेतु चुन लिया जाता है तो राजीव गांधी प्रौ.वि.वि. और संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
- (द) मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूंगा/करुगी।
- (ई) मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ वहाँ से अपने नियुक्तकर्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।
- (क) मैंने, नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र क्रमांक.....एवं दिनांक..... संलग्न किया है, और नियमों के तहत मैं प्रवेश की पात्रता रखता/रखती हूँ इस संबंध में शपथ-पत्र फार्म के साथ संलग्न कर दिया गया है। पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक मेरी संबंधित कार्यालय में कार्यरत रहने की सभांवना है। मुझे जानकारी है कि मेरा स्थानान्तरण नहीं होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में जांच के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जावे।

पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

महत्वपूर्ण नोट:-

1. प्रत्येक पोलीटेकनिक के लिये आवेदन उस पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा करें जहां अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है।
2. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज तथा शुल्क हेतु ₹100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो की संस्था के प्राचार्य के नाम से देय हो, जमा करें।
4. यदि किसी संस्था के किसी पाठ्यक्रम/ब्रान्च में चयनित आवेदकों की संख्या 10 से कम होगी तो उस संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम/ब्रान्च में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. अपूर्ण फार्म मान्य नहीं किये जायेंगे।
6. संबंधित संस्थाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की जानकारी अधिकृत वेबसाईट-
www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:-

- (1) निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि "संबंधित संस्था/पोलीटेकनिक महाविद्यालय नाम से संस्था स्थित शहर में देय हो
- (2) अर्हकारी परीक्षा की बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (3) प्रवेश नियम के तहत मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (4) आरक्षित श्रेणी तथा वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का प्रमाण पत्र **30/04/2017** के पूर्व का होने की दशा में नवीन आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- (5) विकलांग उम्मीदवार होने की दशा में निम्नलिखित प्रमाण पत्र
(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा
(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन-पत्र की पावती
अंशकालीन पत्रोपाधि चार वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु
(व्यक्तिगत रूप से जमा करने पर देय)
सत्र 2020-21

आवेदन पत्र क्रमांक/दिनांक.....
(आवेदन जमा करते समय संस्था द्वारा आवंटित किया जावे)

उम्मीदवार का पूरा नाम :.....
(10वीं की अंकसूची अनुसार)

उपरोक्त आवेदन पत्र चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक्स)
ब्रान्च के लिए दिनांक...../...../2020 को प्राप्त किया।

आवेदन प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सील

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1	वेबसाईट पर नियम पुस्तिका एवं आवेदन-पत्र की उपलब्धता	14/08/2020
2	वेबसाईट से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर तथा पूर्णतः भरकर समस्त संलग्नकों के साथ प्रवेश के इच्छुक पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	10/09/2020 (कार्यालयीन समय में)
3	पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि	22/09/2020 से 30/09/2020 तक
4	संस्था द्वारा अपने सूचना पटल पर मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि	05/10/2020
5	संस्था द्वारा प्रवेश हेतु मेरिट तथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के लिये प्रथम चरण की काउंसिलिंग आयोजित किये जाने की तिथि (तिथिवार मेरिट/प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों संख्या अनुसार काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने हेतु अभ्यर्थियों की सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा)	07/10/2020 से 15/10/2020

प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

1. प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में **अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु** नियम पुस्तिका, आवेदन-पत्र का प्रारूप संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाईट- www.mptechedu.org से डाऊनलोड कर उस प्रिंटआउट की प्रति सुरक्षित रखें।
2. डाऊनलोड किये हुए आवेदन-पत्र को पूर्णतः भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां तथा शुल्क हेतु ₹ 100/- का डिमांड ड्राफ्ट जोकि "संस्था के प्राचार्य के नाम देय हो, सहित उस पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा करें जहां अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है।
3. पोलीटेकनिक महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा हो जाये।
5. अभ्यर्थी का यह उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि को संस्था द्वारा जारी की गई मेरिट/प्रतीक्षा सूची में अपनी स्थिति से अवगत होकर संस्था द्वारा आयोजित काउंसिलिंग की तिथियों पर उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करे। अभ्यर्थियों को पृथक से कॉल लेटर/डाक द्वारा सूचना नहीं दी जावेगी।

स्वस्थता प्रमाण-पत्र

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. आयु.....
4. पिता/पति का नाम.....

उम्मीदवार का पासपोर्ट साईज का फोटो जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही अनुप्रमाणित किया गया हो। यहां गोंद से चिपकाएँ

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री.....का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है और वह हृष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ है तथा वह नीचे दिये गये चिकित्सा मान दण्डों के अनुसार दुरुस्त है।

चिकित्सक के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पंजीयन क्रमांक.....

स्थान
दिनांक

(चिकित्सक की सील)

चिकित्सा का मान दण्ड (Medical Standard)

1. ऊंचाई (**Height**)
पुरुष उम्मीदवार के लिये 1.5 मीटर तथा महिला उम्मीदवार के लिए 1.4 मीटर से कम न हो
2. वजन (**Weight**)
पुरुष उम्मीदवार के लिये 41 किग्रा. तथा महिला उम्मीदवार के लिए 37 किग्रा. हो।
3. सीना माप (**Chest and Measurement**)
केवल पुरुष उम्मीदवार के लिये 69 सेन्टी मीटर (फुलाव व सिकुड़न) की संतोषजनक सीमाओं सहित।
4. हृदय एवं फेफड़े (**Heart & Lungs**)
कोई असामान्यता नहीं, हार्निया (**Harnia**) हाइड्रोसील (**Hydrocile**) बवासीर (**Piles**) इत्यादि की उपस्थिति अस्थायी रूप से अयोग्य मानी जावेगी (संस्था में प्रवेश लेने से पूर्व इनका ठीक होना आवश्यक है।)
5. नेत्र ज्योति (**Vision**)
सामान्य दोष होने पर अच्छी आंख में 6/9 तक का तथा खराब आंख में 6/12 तक सुधार आवश्यक आखें जन्मजात तथा अन्य बीमारियों से मुक्त होना चाहिए।
6. श्रवण शक्ति (**Hearing Power**)
सामान्य जहां दोषपूर्ण हो उसका ठीक होना आवश्यक है।

अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा दिये जाने वाले
शपथ-पत्र का प्रारूप
शपथ-पत्र

मैं-----पुत्र-----
आयु-----निवासी-----
जिला-----तहसील-----
का निम्नानुसार शपथ लेता हूँ कि :-

1. मैं तकनीकी पद पर नियमित कर्मचारी के रूप में नियमित वेतन/वेतनमान रूपये
-----में दिनांक-----से संस्था मेसर्स
-----में कार्यरत हूँ और वर्तमान में माहवारी कुल
वेतन रूपये -----नियमित रूप से नियोक्ता कार्यालय से प्राप्त कर रहा हूँ
जिसका रिकार्ड कभी भी देखा जा सकता है। संस्थान का पंजीयन क्रमांक
-----है एवं दूरभाष क्रमांक -----हैं।
2. मैंने नियमित छात्र के रूप में अन्य किसी संस्था में सत्र-----में प्रवेश नहीं
लिया है।
3. मैं अपना स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत कर दूंगा। मैं डुप्लीकेट
स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र गुम हो
गया है उसके आधार पर मैंने अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया था।
4. मैंने अपने नियोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा
प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश के समय तकनीकी कार्य पर कार्यरत रहने का तथा कक्षाओं में
अध्ययन करने की अनुमति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता रहूंगा।
5. मैं दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ।
6. यदि किसी भी स्तर पर प्राचार्य द्वारा या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा यह पाया गया
कि उपरोक्त क्रं. 1 से 5 तक मैंने जो जानकारी प्रवेश के संबंध में दी है वह गलत है
अथवा तकनीकी कार्य पर नियमित सेवा में कार्यरत नहीं हूँ तो मेरा प्रवेश बिना सूचना
के कभी भी निरस्त कर दिया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं-----पुत्र-----उम्र-----जिला-----
-----तहसील----- यह सत्यापित करता हूँ उपरोक्त क्रं. 1से 6 तक दिया
गया विवरण मेरी जानकारी से सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जांच पत्रक(सत्र 2020-21)

आवेदन पत्र क्रमांक..... आवेदक का नाम

आवेदक का पत्र व्यवहार का पता :.....

स.क्र.	विवरण	(हाँ/ नहीं)
1	आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक है (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को)	
2	अर्हकारी परीक्षा हाई स्कूल, (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा गणित, विज्ञान सहित की अंक सूची संलग्न है।	
3	उच्च शैक्षणिक योग्यता (10+2) हायर सेकेण्डरी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित विषय से परीक्षा की अंकसूची संलग्न है।	
4	बैचलर ऑफ साइंस (बी.एस.सी.) या उच्च परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित विषय से परीक्षा की अंकसूची संलग्न है।	
5	तकनीकी योग्यता आई.टी.आई. (ITI) का प्रमाण पत्र संलग्न है।	
6	तकनीकी योग्यता एप्रेन्टिसशिप (Apprentiship) का प्रमाण पत्र संलग्न है।	
7	तकनीकी योग्यता टेकनिकल स्कूल (Vocational Courses) का प्रमाण पत्र संलग्न है।	
8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र संलग्न है।	
9	अनुभव:-	
	शासकीय विभाग	
	प्रायवेट संस्थान	
	सार्वजनिक प्रतिष्ठान	
	ठेकेदार (सिविल)	
	ठेकेदार (विद्युत)	
10	आवेदन पत्र नियोक्ता कार्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया है।	
11	वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	
12	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त नियुक्ति पत्र संलग्न है।	
13	पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटोकापी संलग्न है।	
14	कर्मचारी भविष्य निधि खाता क्रमांक अनुभव प्रमाण पत्र में संलग्न है।	
15	सेवा अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रति हस्ताक्षरित है।	
	शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र विभागीय प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।	
	प्रायवेट संस्थान/उद्योगों में कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र श्रम पदाधिकारी/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।	
	सिविल ठेकेदार के पास कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र शासकीय विभाग कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।	
	विद्युत ठेकेदार के पास कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र विद्युत लायसेंस निरीक्षक के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।	
16	आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता है।	

हस्ताक्षर जांच प्रभारी